सं. ए-12018/09/2014-एमएच.II

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

*****

विषय: सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता में वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन के पद के भर्ती नियम का मसौदा पर आम नोटिस।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. AB-14017/61/2008-Estt.(RR) दिनांक 13.10.2015 के अनुपालन में सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता में वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन के पद के भर्ती नियम का मसौदा संलग्न किया जाता है।

भर्ती नियम के मसौदे पर कोई आपत्ति/टिप्पण अथवा सुझाव देने को इच्छुक स्टेकहोल्डर्स, भर्ती नियम के मसौदे के प्रकाशन की तारीख़ से 30 दिनों के अंदर श्री वी. प्रसाद, उपनिदेशक (एमएच), कमरा सं. 559, ए-विंग, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली– 110011 अथवा इमेल पता: v.prasad@nic.in पर लिखित में दे सकते हैं।

(एम.के. चौधुरी)
निदेशक
दूरभाष: 23061015

नई दिल्ली
दिनांक:

[भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड–3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख :.................... 2018

अधिसूचना

सा.का.नि. – राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता, वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन, समूह "ग" भर्ती नियम, 1973 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया जा चूका है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता में वरीष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता, **एम्प्यूल सीलर** (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे |

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं |

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और **अर्हताएं आदि** – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं |

4. निरर्हता – वह व्यक्ति, –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी |

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी |

6. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरीष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन	08* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुनसचिवीय	स्तर-5 (29200-92300 रुपए)	अचयन पद	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।**
10	11
100 % प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : पे मैट्रिक्स में स्तर 3 में विभाग में प्रयोगशाला तकनिशीयन के रुप में 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पणी - 1. जो कनिष्ठ अधिकारियों ने क्वालिफाइंग या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो वे प्रोन्नति के लिए विचारणीय होंगे, उनके सीनियरों पर भी विचार किया जाएगा कि उनकी अपेक्षित या पात्र सेवा अवधि दो वर्ष या ऐसे क्वालिफाइंग या पात्रता सेवा का आधे से अधिक किया हो, जो भी कम है, तथा उनके कनिष्ठ अधिकारियों जिन्होंने ऐसी क्वालिफाइंग या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है के साथ अगले उच्च श्रेणी में प्रोन्नति हेतु उनकी परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूरी हो गई है। टिप्पणी -2 . प्रोन्नति की पात्रता की सूची संबंधित ग्रेड या पद में अधिकारियों द्वारा निर्धारित योग्यता सेवा को पूरा करने की तिथि को देखते हुए तैयार की जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति हेतु विचार करने के लिए) - 1. अपर सिरोलोजिस्ट या वरिष्टतम सहायक सिरोलोजिस्ट, सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता — अध्यक्ष 2. सहायक सिरोलोजिस्ट, सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता — सदस्य 3. कोलकाता स्थित अन्य केन्द्र सरकार के कार्यालय से एक राजपत्रित अधिकारी — सदस्य	लागू नहीं होता

(ए.11018/09/2016- एम एच II)

(बी.एल.मीणा)
अवर सचिव, भारत सरकार